न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 146/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/384

वादी	बनाम	प्रतिवादी
भीयाराम पुत्र खंगारराम जाति जाट निवासी बलानिया (बलाऊ जाटी) तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.लाखाराम पुत्र खंगारराम 2.डूंगरराम पुत्र खंगारराम 3.लूम्बाराम पुत्र गिरधारीराम 4.पीराराम पुत्र गिरधारीराम के वारिसान 4/1.मुकेश पुत्र पीराराम 4/2.ओमाराम पुत्र पीराराम 4/3.जोगाराम पुत्र पीराराम 5.चूनाराम पुत्र गिरधारीराम 6.नगाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी बलाणिया (बलाऊ जाटी) तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 7.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर व जिला बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता वादी
2.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5,6
3.प्रतिवादी संख्या 04 के वारिसान एकतरफा

निर्णय

दिनांक– 20.01.2025

1.संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम बलाणिया तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 458/104 रकबा 33.02 बीघा भूमि अवस्थित है। वादी की खातेदारी खसरा संख्या 458/104 के बदिशा उत्तरी तरफ जुड़ती खसरा संख्या 100 सरकारी कटाण रास्ता की भूमि अवस्थित है। उक्त कटाण रास्ता के बदिशा उत्तरी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की खातेदारी खसरा संख्या 97 अवस्थित है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के खेत के बीच में कटाण रास्ता खसरा संख्या 97 अवस्थित है। कटाण मार्ग पर ग्रेवल सड़क बनने के बजाय वादी की खातेदारी में सड़क बनाई गई। प्रतिवादी द्वारा कटाण मार्ग व वादी की खातेदारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर दिया गया। वादी की ओर से प्रतिवादी को

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अवैध अतिक्रमण हटाने का निवेदन किए जाने पर मना किया गया। वादी की ओर से अपनी वादग्रस्त भूमि की नेखमबंदी का आवेदन न्यायालय हाजा में पेश किया,जो बाद स्वीकार किया। वादग्रस्त भूमि की पैमाइश की गई,जिसमें वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी का रकबा 2.00 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया। अतः वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा रकबा 2.00 बीघा भूमि पर परिशिष्ट अ में दर्शाये बरंग लाल ए से डी पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाया जाकर वादी को सुपुर्द करवानें एंव प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का वाद पेश किया गया है।

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता श्री रूगाराम कड़वासरा द्वारा प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा पेश कर वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश कर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया गया।

3.प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किए गए:-

<u>तनकी संख्या 1</u>-आया विवादित भूमि ग्राम बलाणिया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 458/104 रकबा 33.02 बीघा मे से रकबा 2.00 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण माफिक परिशिष्ट अ मे दर्शायें गए मार्क ए से डी बरंग लाल से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को बेदखल करवाने के हकदार है ?

(जिम्मे-वादी)

<u>तनकी संख्या 2</u>-आया वादग्रस्त भूमि मे से बाद बेदखल के प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा वादी जारी करवाने का हकदार है ?

(जिम्मे-वादी)

<u>तनकी संख्या 3</u>-आया वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 458/104 व प्रतिवादी की खसरा संख्या 97 के बीच कटाण मार्ग अवस्थित होने के कारण प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं कर रखा है ?

(जिम्मे-प्रतिवादी)

<u>तनकी संख्या 4</u>-आया वादी वाद-पत्र गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है

(जिम्मे-प्रतिवादी)

<u>तनकी संख्या 5</u>-अन्य दादरसी ?

4.वादी की ओर से वाद-पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य में PW.01 भीयाराम व PW.02 कालूराम के बयानाम कलमबद्व करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी-01 से 10 प्रदर्शित प्रदर्शित करवाए गए।

5.प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य गवाही करवाने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी साक्ष्य नहीं करवाने हेतु प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

6 उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम बलाणिया तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 458/104 रकबा 33.02 बीघा भूमि अवस्थित है। वादी की खातेदारी खसरा संख्या 458/104 के वदिशा उत्तरी तरफ जुड़ती खसरा संख्या 100 सरकारी कटाण रास्ता की भूमि अवस्थित है। उक्त कटाण रास्ता के वदिशा उत्तरी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की खातेदारी खसरा संख्या 97 अवस्थित है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के खेत के बीच में कटाण रास्ता खसरा संख्या 97 अवस्थित है। कटाण मार्ग पर ग्रेवल सड़क बनने के बजाय वादी की खातेदारी में सड़क बनाई गई। प्रतिवादी द्वारा कटाण मार्ग व वादी की खातेदारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया। वादी की ओर से प्रतिवादी को अवैध अतिक्रमण हटाने का निवेदन किए जाने पर मना किए जाने पर वादी की ओर से अपनी वादग्रस्त भूमि की नेखमबंदी का आवेदन न्यायालय श्री में पेश किया,जो बाद स्वीकार हुआ। वादग्रस्त भूमि की पैमाइश की गई,जिसमें वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी का रकबा 2.00 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया। प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण होना साबित होने के उपरांत भी हटाए नहीं जाने पर न्यायालय श्री में हस्तगत वाद पेश किया गया। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादी के वाद के संलग्न दस्तावेजात एवं बयानात से भी प्रमाणित है कि वादी की वादग्रस्त भूमि रकबा 2.00 बीघा भूमि पर प्रतिवादी का अवैध अतिक्रमण है। अतः वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा रकबा 2.00 बीघा भूमि जो मौका फर्द में दर्शाये बरंग लाल ए से डी पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाया जाकर वादी को कब्जा सुपुर्द किया जावे तथा प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निधेषाज्ञा जारी की जावें कि वादी की खातेदारी भूमि मे किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे।

7.इसके विपरीत प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस है कि वादी की ओर से वाद–पत्र मनगढन्त तथ्यों के आधार पर लाया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि वादी की खातेदारी खसरा संख्या 458/104 है तथा प्रतिवादी की खातेदारी खसरा संख्या 97 है। दोनो के खेतो के बीच में कटाण मार्ग खसरा संख्या 100 अवस्थित है। उक्त कटाण मार्ग विगत 50 वर्षो से मौके पर चल रहा है। आमजन आवागमन के लिए उपयोग कर रहे है। इस प्रकार दोनो खेतो के बीच मे कटाण मार्ग अवस्थित होने के कारण वादी की खातेदारी भूमि में कब्जा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है,क्योकि दोनो के खेतो के बीच में कटाण मार्ग चल रहा है। इस कारण वादी की ओर से गलत तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया गया है। वादी की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिया गया था,लेकिन तहसीलदार साहब द्वारा पैमाईश नहीं की जाकर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा कार्यवाही की गई। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा केवलमात्र औपचारिकता करते हुए पैमाईश की एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी का अवैध कब्जा बताया गया। जबकि पैमाईश की कार्यवाही प्रतिवादी पक्ष को सूचित किए बिना एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी,क्योकि दोनो खेतो के बीच में कटाण मार्ग होने के कारण अवैध कब्जा होना का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। अंत में निवेदन किया कि वादी का वाद–पत्र गलत तथ्यो के आधार पर होने

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

के कारण खारिज किया जावें तथा प्रतिवादी का प्रतिपवाद स्वीकार किया जाकर वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रतिवादी की खातेदारी भूमि में दंखलदान्जी नहीं करे।

8.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात,नेखमबंदी मौका फर्द रिपोर्ट एंव बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। प्रकरण का निस्तारण करने के लिए कायम तनकीयात का तनकीवार विवेचन किया जा रहा है:-

तनकी संख्या 01- आया विवादित भूमि ग्राम बलाणिया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 458/104 रकबा 33.02 बीधा मे से रकबा 2.00 बीधा पर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण माफिक परिशिष्ट अ मे दर्शायें गए मार्क ए से डी बरंग लाल से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को बेदखल करवाने के हकदार है ?

(जिम्मे-वादी)

इस विवादयक बिंदु को साबित करने का भार वादी पर रखा गया है। वादी पक्ष की ओर से अपने वाद पत्र को साबित करवाने के लिए 02 गवाह की साक्ष्य करवाई गई तथा बयानात के समर्थन में प्रदर्श-01 से प्रदर्श-10 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए। जिसमें पाया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बलाणिया तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 458/104 रकबा 33.02 बीधा भूमि वादी की आवगी खातेदारी में दर्ज है। वादी की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय हाजा में पेश किया गया था,जो मुकदमा संख्या 776/2018 अनवान भीयाराम बनाम लाखाराम पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई आदेश दिनांक 25.6.2021 को पारित हुआ । उक्त आदेश की अनुपालना में हुए कार्यवाही की रिपोर्ट प्रदर्श-04 से 06 है। प्रदर्श-06 की रिपोर्ट अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी की खातेदारी भूमि के बीच में कटाण रास्ता व वादी की खातेदारी भूमि मे से 2 बीधा भूमि पर प्रतिवादी का अवैध अतिक्रमण है। इससे स्पष्ट साबित है कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा अवैध अतिक्रमण कर रखा है,जो वादी अपनी खातेदारी भूमि प्राप्ति करने का हकदार है तथा वादी की ओर से बयानात से भी साबित है कि वादी अपना वाद-पत्र स्वीकार करवाने का हकदार है। उपरोक्त विवेचन व हस्तगत प्रकरण की धारा के अध्यारोही प्रभाव के आलोक में न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं,कि तनकी संख्या 01 वादी साबित करने में सफल रहने के कारण तनकी उनके पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2-आया वादग्रस्त भूमि मे से बाद बेदखल के प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा वादी जारी करवाने का हकदार है ?

(जिम्मे-वादी)

इस विवादयक बिंदु को साबित करने का भार वादी पर रखा गया है। चूंकि तनकी संख्या 01 का विस्तृत विवेचन के उपरांत साबित हो चुका है कि वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी का अवैध कब्जा हैं,जो अवैध कब्जा हटवाते हुए प्रतिवादी को बेदखल कर वादी कब्जा प्राप्त करने का हकदार हैं। वादग्रस्त भूमि को लेकर वादी व प्रतिवादी के मध्य वाद विवाद चल रहा हैं। वादी वाद-पत्र पर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उपलब्ध दस्तावेज से भी साबित कर दिया है, कि प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा है और अवैध कब्जा से बेदखल कर वादी पक्ष कब्जा प्राप्ति करेगा। इस कारण प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक है,ताकि वादी की खातेदारी भूमि में हस्ताक्षेप व दखलदांजी नहीं करे तथा रिकार्डेड खातेदार स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी हकदार हैं। अतः उक्त तनकी वादी साबित करने में सफल रहने के कारण वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3–आया वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 458/104 व प्रतिवादी की खसरा संख्या 97 के बीच कटाण मार्ग अवस्थित होने के कारण प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं कर रखा है ?

(जिम्मे–प्रतिवादी)

इस विवादयक बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रखा गया है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी तनकी को साबित करने के समर्थन में साक्ष्य गवाही नहीं करवाई गई तथा न ही ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश किया गया,जिससे उनकी तनकी साबित होती हो। जबकि इसके विपरीत वादी द्वारा विवादित आराजी की नेखमबंदी कार्यवाही की मौका फर्द प्रमाणित प्रति पेश की गई,जो कि पत्रावली के संलग्न प्रदर्श भी करवाई गई है। प्रदर्श–6 की फर्द मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि कटाण रास्ता से हटकर सड़क मार्ग का निर्माण वादी की खातेदारी भूमि मे हो रखा है तथा कटाण रास्ता व सड़क निर्माण मार्ग के बीच की भूमि पर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। इस प्रकार प्रतिवादी पक्ष अपने पक्ष में कायम तनकी को साबित करने में असफल रहा है। इस कारण उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4–आया वादी वाद–पत्र गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है?

(जिम्मे–प्रतिवादी)

इस विवादयक बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रखा गया है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व गवाही नहीं करवाई गई। जिससे साबित होता हो कि वादी का वाद–पत्र गलत तथ्यो के आधार पर लाया गया हो। जबकि इसके विपरीत वादी द्वारा अपनी साक्ष्य सबूतो से साबित किया हो कि वादी का वाद स्वीकार योग्य है। ऐसी सूरत में प्रतिवादी अपनी तनकी को साबित करने में असफल रहने के कारण उक्त तनकी उनके विरूद्व निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 05–अन्य दादरसी ?

उक्त तनकी पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है,क्योंकि पक्षकार इस्तदुआ से अतिरिक्त परिलाभ प्राप्त करना साबित नहीं कर पाए है।

अनुतोषः–उपयुर्क्त विवचेन के आधार पर न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी वाद–पत्र में कायम तनकी संख्या 01 व 2 साबित करने में बखूखी सफल रहा है तथा प्रतिवादी पक्ष अपने पक्ष में कायम तनकीयात को साबित करने में सफल नहीं हो पाया है,इस कारण प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाना तथा वादी के वाद

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णय:

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा ग्राम बलाणिया तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 458/104 रकबा 33.02 बीघा भूमि के संबंध में प्रदर्श 6 के अनुसार खसरा संख्या 100 (कटाण रास्ता) पर किए गए अवैध कब्जा हटवाया जाकर प्रतिवादी को बेदखल करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 से 06 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जा–काश्त में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे। प्रदर्श–6 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 20.01.2015 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर 20.01.2015
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 146/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/384

वादी	बनाम	प्रतिवादी
भीयाराम पुत्र खंगाराराम जाति जाट निवासी बलानिया (बलाऊ जाटी) तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.लाखाराम पुत्र खंगाराराम 2.डूंगरराम पुत्र खंगाराराम 3.लूम्बाराम पुत्र गिरधारीराम 4.पीराराम पुत्र गिरधारीराम के वारिसान 4/1.मुकेश पुत्र पीराराम 4/2.ओमाराम पुत्र पीराराम 4/3.जोगाराम पुत्र पीराराम 5.चूनाराम पुत्र गिरधारीराम 6.नगाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी बलाणिया (बलाऊ जाटी) तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 7.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर व जिला बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 146/2021

निर्णय दिनांक :–20.1.2025

वादी की ओर से श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 व 5,6 की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 04 के वारिसान एकपक्षीय इस वाद में आज तारीख 20.01.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति सांबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा ग्राम बलाणिया तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 458/104 रकबा 33.02 बीघा भूमि के संबध में प्रदर्श 6 के अनुसार खसरा संख्या 100

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(कटाण रास्ता) पर किए गए अवैध कब्जा हटवाया जाकर प्रतिवादी को बेदखल करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 से 06 को जरिए स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जा–काश्त में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे। प्रदर्श–6 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।।

यह आज तारीख 20.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा (राज.)

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस	—	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	—	जोड़	———

20.01.2025

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा